



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 133 राँची, बुधवार,

19 मार्च, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

19 मार्च, 2025

संख्या-09/आरोप (हजारीबाग)-09/2025-765(09)/रा.,--जिला अवर निबंधक, हजारीबाग के पत्रांक-74, दिनांक-13.01.2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राजेश एक्का, जिला अवर निबंधक, हजारीबाग द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए हजारीबाग जिला के बड़कागाँव अंचल अंतर्गत मोईत्रा कोल ब्लॉक के मौजा हाहे, अम्बाजीत, मोईत्रा बादम एवं फुलांग के रकवा 293.54 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक-08.01.2025 को मेसर्स जे०एस०डब्ल्यू० स्टील लिमिटेड के पक्ष में निबंधित खनन पट्टा सं०-2025/ HAZ/194/ BK1/185 का निबंधन विभागीय परामर्श की प्रतीक्षा किये बिना करने के कारण मुद्रांक शुल्क के रूप में रु० 31,06,68,400 (एककतीस करोड़ छः लाख अड़सठ हजार चार सौ मात्र) एवं निबंधन शुल्क के रूप में रु० 23,30,01,300 (तेईस करोड़ तीस लाख एक हजार तीन सौ मात्र) कुल रु० 54,36,69,700 (चौवन करोड़ छत्तीस लाख उन्हत्तर हजार सात सौ मात्र) की क्षति हुई है ।

2. उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-26/खनन, दिनांक-9.01.2025 द्वारा श्री एक्का के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।
3. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु श्री एक्का के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-6840, दिनांक-15.10.2024 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इकबाल आलम अंसारी (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
5. अपर समाहर्ता, हजारीबाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामवृक्ष महतो,
सरकार के उप सचिव ।
